

44(B)
74(B)

ANNEXURE....

**OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT -Uttarkashi (U.K.)**

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. C. Ravishankar I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 09/12/2014 at time 12.30 AM. at Uttarkashi in which application claiming rights in forest land area measuring 3.64 hect for the construction of Kharadi to Syalna Bhansadi motor road (10.40 Km) of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Barkot sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Uttarkashi.

Dated: 09/12/2014


C. Ravishankar
District Magistrate-cum-chairman
District level Committee
Uttarkashi

Annexure-1 74(B)

Form-1
(For linear project)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector-Uttarkashi

No.....

Dated..09/12/2014

To whomsoever it may concern

In compliance of the ministry of the environment and forests(MOEF),Government of india's letter no 11-9/98-FC(pt) dated 3rd august 2009 wher in the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006('FRA' for short)on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain be relaxation in respect of linear project ,it is certified that 3.640 hect. Of forest land proposed to be diverted in favour of P.M.G.S.Y.I.D. Purola (user agency)for Kharadi to Syalana Bhamadi M.P. (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of Seyna Bhamadi villager(s) in Barkot tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under FRA, has been carried out for the entire 3.640 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s) Sub-Division level Committee(s) and the District level Committee are enclosed as annexure 2.3. to annexure 2.3.3
- The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl:-as above.

Signature
जिलाधिकारी

(full name and official seal of the district collector)

प्रपत्र- 23.3

परियोजना का नाम:- खरादी से स्यालना भन्साड़ी मोटर मार्ग का निर्माण ।

:: जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र ::

जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु 3.640 है० वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु जिलाधिकारी/ अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बड़कोट तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिकार अधिनियम-2006 के तहत व संलग्न आख्या के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

परियोजना का नाम :- खरादी से खालना भन्साडी मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम खालना व भन्साडी
तहसील बहकोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला उत्तरकाशी उत्तराखण्ड में खरादी से खालना भन्साडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3-290-हे0 आरक्षित वन भूमि, 0-350-हे0 सिविल सोयम भूमि, 0-100-हे0 वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात् कुल 3640 हे0 वन भूमि का खालना व भन्साडी विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत खालना व भन्साडी द्वारा दिनांक 19/08/14 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम खालना व भन्साडी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि खालना व भन्साडी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- [Signature]
ग्राम सचिव [Signature] अधिकारी
क्षेत्र- खालना (भन्साडी)
वि0ख0-नौगाँव(उत्तरकाशी)

[Signature]
ग.प.स.प.



नोट :- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम :-	खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग ।
--------------------	--------------------------------------

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

तहसील बडकोट, जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अर्न्तगत विकासखण्ड नौगाँव में खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (3.290 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.350 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.640 हे० वन भूमि) का पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०पुरोला विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भंसाडी द्वारा दिनांक 18/08/2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
मुहर सहित
जिला उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड



दिनांक 19/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत सयाबता सतें भान्साडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जमवार सिंह साब / OBC	जमवार
2	दामियान सिंह	
3	हरदेव सिंह	
4	वफिया लाल अनुजति	
5	शीशपाल सिंह OBC	
6	गोपाल सिंह (पूर्व क्षेत्र पंचायत)	गोपाल
7	सरजित लाल अनुजति	सरजित
8	विरेंद्र सिंह OBC	विरेंद्र सिंह
9	कमला लाल अनुजति	कमला
10	जमवार सिंह पयल OBC	जमवार सिंह
11	जोगिन्दर सिंह (पूर्व प्रधान)	जोगिन्दर सिंह
12	विपीन सिंह (पूर्व प्रधान)	विपीन सिंह
3	चैन सिंह	
4	गुलाप सिंह	
5	सुरेश लाल अनुजति	सुरेश लाल
6	दामियान सिंह OBC	
7	दिनेश लाल अनुजति	दिनेश लाल
8	कमला लाल	
9	कमला सिंह OBC	
10	अजुन सिंह	

भान्साडी

गोपाल
 (गोपाल सिंह प्रधान)
 पूर्व सदस्य
 वि. पंचायत - सयाबता
 वि. स. भान्साडी (उ.प्र.)

अजुन
 J.E
 P.M. G.S.K, I.D
 Puroiq (Uttarbhaski)

प्रपत्र 30.5

दिनांक 19/08/14 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत स्थानना

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जुगवीर सिंह - चौहान	जुगवीर
2	श्रीशपाल सिंह "	श्रीशपाल
3	गोपाल सिंह - चौहान	गोपाल
4	जुगवीर सिंह पयाल	जुगवीर सिंह
5	शैलेंद्र लाल	शैलेंद्र
6	देशराज सिंह - चौहान	देशराज
7	वज्रपाल सिंह पयाल	वज्रपाल
8	श्रीपल लाल	श्रीपल लाल
9	विजेंद्र सिंह - चौहान	विजेंद्र सिंह
10	श्रीगणेश सिंह पयाल	श्रीगणेश सिंह
11	हेमाश सिंह - चौहान	हेमाश
12	प्रमोद सिंह "	प्रमोद सिंह
13	जयदेव सिंह "	जयदेव
14	राजेंद्र सिंह पयाल	राजेंद्र सिंह
15	खमन सिंह - चौहान	खमन सिंह
16	प्रकाश लाल	प्रकाश
17	के.ए. सिंह - चौहान	के.ए. सिंह
18	खमन सिंह पयाल	खमन सिंह
19	जगदीश सिंह पयाल	जगदीश
20	किशन सिंह - चौहान	किशन सिंह
21	अतोल सिंह	अतोल सिंह
22	सरत सिंह	सरत सिंह
23	रती लाल	रतिलाल
24	दर्शन लाल	दर्शन लाल
25	साधू लाल	साधू लाल

Deel

ग्राम पंचायत स्थानना
दि. 19/08/14



प्रपत्र 30.5

दिनांक 08/11/20 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत- बीसाडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
2	हरिन्द सिंह रावत	हरिन्द सिंह
3	जोगेंद्र सिंह रावत	जोगेंद्र
4	रामचन्द्र सिंह रावत	रामचन्द्र सिंह
5	जयदेव सिंह रावत	जयदेव सिंह
6	सोहन सिंह रावत	सोहन
7	अशोक सिंह रावत	अशोक सिंह
8	अर्जुन सिंह रावत	अर्जुन सिंह
9	सोहन सिंह रावत	सोहन सिंह
10	किताब सिंह रावत	किताब सिंह
11	जोगेंद्र सिंह रावत	जोगेंद्र सिंह
12	वेताल सिंह रावत	वेताल सिंह
13	शुभेश लाल	शुभेश लाल
14	शुभेश लाल	शुभेश लाल
15	विधि सिंह रावत	विधि सिंह
16	राजेंद्र सिंह रावत	राजेंद्र सिंह
17	दुर्गा लाल	दुर्गा लाल
18	दिगा लाल	दिगा लाल
19	चिन्मया लाल	चिन्मया
20	हुकूम सिंह	हुकूम सिंह
21	भगत सिंह	भगत सिंह
22		
23		
24		
25		



ग्राम पंचायत- बीसाडी
वि. ब. सोपांव (वि. का.)




परियोजना का नाम :- खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, बडकोट
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, बडकोट

उपखण्ड बडकोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत विकासखण्ड नौगाँव में खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग हेतु (3.290 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.350 हे० सिविल एवं सोयम भूमि, 0.00 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 3.640 हे० वन भूमि) का पी०एम०जी०एस०वाई०, सि०ख०पुरोला प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील बडकोट) की दिनांक 21/08/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री देवमूर्ति शारदा, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
श्री देवमूर्ति शारदा उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
श्री जी० पी० सिंह, उप प्रभागीय वनाधिकारी बडकोट वन प्रभाग बडकोट	सदस्य	
श्री आर० पी० डी० शर्मा सहायक समाज कल्याण अधिकारी उत्तरकाशी नौगाँव	सदस्य/सचिव	
श्री बी० डी० सी० शर्मा बडकोट	सदस्य	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि ग्राम खरादी से स्यालना भंसाडी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 3.640 हे० सिविल भूमि पी०एम०जी०एस०वाई०, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री जी० पी० सिंह बडकोट द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

स्तरीय वन अधिकार समिति

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड बड़कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत
~~खेती से व्यावसायिक भू-संसाधन मॉडल~~ परियोजना के निर्माण हेतु 3:64:0.....
हे० वन भूमि ^{P.M. 658} प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त क
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— उप जिलाधिकारी
जनपद— बड़कोट, उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, उत्तरकाशी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अक्षयक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— उप जिलाधिकारी
जनपद— बड़कोट, उत्तरकाशी